Parent, carer and student factsheet

## No prohibited knives at school

माता-पिता, देखभालकर्ता और विद्यार्थी के लिए तथ्य-पत्रक

# स्कूल में वर्जित चाकू-छुरियाँ लाने पर रोक

NSW में अब ऑस्ट्रेलिया में चाकू-छुरियों से जुड़े सबसे कड़े कानून हैं। विद्यार्थियों के लिए किसी सार्वजनिक स्थान या स्कूल में वर्जित चाकू-छुरी रखना गैर-कानूनी है। न्यूनतम दंड का जुर्माना \$4,400, 4 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। अधिकतम जुर्माना \$11,000 है।

## किसी भी परिस्थिति में स्कूल में चाकू-छुरी लाने की अनुमित नहीं है

क्योंकि स्कूल की नीति सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार की गई है, इसलिए स्कूल में किसी भी प्रकार के चाकू-छुरी लाने की अनुमति नहीं है, इनमें फ्लिक नाइफ, शीथ नाइफ, पुश डैगर्स, ट्रेंच नाइफ, बटरफ्लाई नाइफ, स्टार नाइफ या कोई भी ऐसी वस्तु शामिल है जिसका प्रयोग हथियार के तौर पर किया जा सकता है (जैसे कि छेनी)।

यदि किसी विद्यार्थी के पास स्कूल में चाकू-छुरी पाई जाती है तो प्रिंसिपल पुलिस बुला सकता/सकती है। हो सकता है कि विद्यार्थी को स्कूल से तुरंत निष्काषित या निलंबित किया जाए।

किसी के पास चाकू-छुरी के होने में यह स्थिति शामिल है: विद्यार्थी ने अपने बैग या लॉकर में चाकू-छुरी रखी है, भले ही उसने इसका प्रयोग न किया हो या किसी को इससे डराया-धमकाया न हो। अपनी सुरक्षा के लिए चाकू-छुरी रखना भी ग़ैर-कानूनी है। कल्याण या सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ भी आगे प्रिंसिपल को बताई जानी चाहिए।

माता-पिता और देखभालकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे लंचबॉक्स में बटर नाइफ या फ्रूट नाइफ न भेजें, या शिल्प-कला के कार्यों के लिए चाकू-छुरियों वाले औज़ार न भेजें। यदि किन्हीं शिक्षा-पाठों में चाकू-छुरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुकिंग या ट्रेड संबंधी कार्यों में, तो विद्यार्थी के टीचर औज़ार की आपूर्ति करेंगे और इनके प्रयोग का निरीक्षण करेंगे।

हर विद्यार्थी को स्कूल में सुरक्षित और महफूज़ महसूस करने का अधिकार है। किसी विद्यार्थी के लिए स्कूल में कभी भी चाकू-छुरी होने का कोई भी कारण उचित नहीं होता है।

सीनियर वर्षों के कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटेलिटी, जहाँ विद्यार्थियों के लिए अपनी खुद की चाकू-छुरियाँ होना आवश्यक हो सकता है। स्कूल इन कोर्सों के बारे में और स्कूल से कानूनी तौर पर चाकू-छुरियाँ लाने और ले जाने से जुड़ी कार्यविधियों के बारे में माता-पिता, देखभाकर्ताओं और विद्यार्थियों को सूचित करेंगे।

## कड़े दंड लागू हैं

कानून माता-पिता और देखभालकर्ताओं को जिम्मेदार बनाता है। माता-पिता और देखभालकर्ताओं को यह निश्चित करने की ज़रूरत है कि उनकी संतान को चाकू-छुरियों से जुड़े स्कूल के नियमों और राज्य के कानूनों की जानकारी है।

माता-पिता और देखभालकर्ताओं को इन कानूनों से अवगत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वे अपनी संतान को चाकू-छुरी अपने पास रखने की अनुमति देते हैं तो उनपर भी आरोप लगाया जा सकता है।

यदि पुलिस को यह संदेह है कि किसी युवा व्यक्ति के पास चाकू-छुरी है तो वे उसकी तलाशी ले सकते हैं और यदि तलाशी के दौरान उन्हें कोई खतरनाक वस्तु मिलती है तो वह उसे जब्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वह पुलिस की ऐसी किसी तलाशी का अनुपालन करे, या अन्यथा उन्हें गिरफ्तार करके उनपर आरोप लगाया जा सकता है।

चाकू-छुरी से जुड़े हमलों या धमकियों के लिए बहुत कड़ी सज़ा होती है, जैसे कि यदि विद्यार्थी किसी लड़ाई-झगड़े में शामिल है और चाकू-छुरी का प्रयोग करके किसी को चोट पहुँचाता है।



यदि विद्यार्थी दूसरे युवा लोगों के साथ इस प्रकार का अपराध करता है, तो सज़ा और भी कड़ी हो सकती है। कुछ मामलों में, कारावास की अवधि 14 से 25 साल तक के लिए हो सकती है।

किसी व्यक्ति के लिए 16 साल से कम आयु के व्यक्ति को चाकू-छुरी बेचना भी गैर-कानूनी है।

#### अपवाद

ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें चाकू-छुरी ले जाना आवश्यक हो और व्यक्ति उसे अपने पास रखने के लिए 'यथोचित कारण' स्थापित करने में सक्षम हो।

'यथोचित कारण' में शामिल है, चाकू-छ़री का निम्नलिखित के लिए 'यथोचित तौर पर आवश्यक होना', पर यह इसी तक सीमित नहीं है:

- किसी व्यवसाय, शिक्षा या प्रशिक्षण के कानूनी अनुसरण के लिए
- कानूनी मनोरंजन, मनोरंजनात्मक या खेलकूद से जुड़े कार्य में भाग लेने के लिए
- उचित धार्मिक उद्देश्यों के लिए, या
- उपरोक्त कारणों से किसी यात्रा के लिए।

#### टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको और अधिक जानकारी की ज़रूरत है तो कृपया स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करें। यदि आपको अपनी पूछताछ में सहायता के लिए दुभाषिए की ज़रूरत है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा (Telephone Interpreter Service) को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा में दुभाषिए की मांग करें।

ऑपरेटर को वह फोन नम्बर बताएँ जिसपर आप कॉल करना चाहते/चाहती हैं और ऑपरेटर बातचीत में आपकी सहायता करने के लिए लाइन पर दुभाषिए को जोडेगा। इस सेवा के लिए आप से शुल्क नहीं लिया जाएगा।